FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

लेहरीबाई बनाम राजू

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 228/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/05/24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ~~श्री~~ / श्रीमती लेहरीबाई पत्नी डालचन्द मीणा ~~पिता~~ श्री/श्रीमती सीताबाई पत्नी चतुरभुज मीणा निवासी– रेल्वे माल गोदाम के पास चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम सुरजपोल (तह. बस्सी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 190/0.89, 191/0.11, 192/0.13, 215/0.57, 218/0.32, 219/0.61, 220/1.38 कुल कीता 07 कुल रकबा 4.0100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल (तह. बस्सी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 190/0.89, 191/0.11, 192/0.13, 215/0.57, 218/0.32, 219/0.61, 220/1.38 कुल कीता 07 रकबा 4.0100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000=00 रूपये अक्षरे दो हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner